# अक्षयपात्र संस्था द्वारा प्रदेश में कतिपय जनपदों में संचालित मध्यान्ह भोजन का वितरण

1. प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना के आरम्भ से जनपद–मथुरा में अक्टूबर, 2004 से ही अक्षयपात्र संस्था द्वारा **स्वयं की भूमि व संसाधन से** केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना कर सम्पूर्ण जनपद ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में स्थित प्राथमिक–उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में 2073 प्राथमिक–उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 1.61 लाख बच्चे आच्छादित है।
2. शासनादेश दिनांक 28 सितम्बर, 2012 द्वारा जनपद– लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं कन्नौज में अक्षयपात्र फाउण्डेशन को मशीनीकृत केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से योजनान्तर्गत भोजन वितरण करने का निर्णय लिया गया था।
3. उपरोक्त के अनुपालन में जनपद–लखनऊ में आवंटित भूमि पर अक्षपात्र संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों के माध्यम से मार्च, 2015 में मशीनीकृत केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना कर वर्तमान में 1.36 लाख छात्र/छात्राओं को गर्म पका–पकाया, पौष्टिक एवं गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. अक्षयपात्र फाउण्डेशन हेतु जारी शासनादेश संख्याः 1843/79–6–2016 दिनांक 23.12.2016 में 11 जनपदों यथा–वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, कन्नौज, अम्बेडकर नगर, गाजियाबाद, इटावा, इलाहाबाद, रामपुर, बलिया एवं आजमगढ़ अक्षयपात्र फाउण्डेशन को केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। उपरोक्त शासनादेश में प्रत्येक जनपद में एक लाख छात्रों की क्षमता वाले केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण हेतु रू0 881.48 लाख दिये जाने का प्राविधान है।
5. उक्त शासनादेश दिनांक 23.12.2016 के क्रम में जनपद वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, अम्बेडकरनगर एवं गाजियाबाद में जिलाधिकारी/नगर आयुक्त एवं अक्षयपात्र फाउण्डेशन के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जा चुका है। शेष जनपदों कन्नौज, इटावा, इलाहाबाद, रामपुर, बलिया एवं आजमगढ़ में भूमि की अनुपलब्धता के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों 04–05 बार स्मरण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।
6. शासनादेश दिनांक 14.12.2018 द्वारा जनपद–गोरखपुर में अक्षयपात्र फाउण्डेशन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन वितरण हेतु केन्द्रीयकृत किचेन के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। भूमि का चिन्हांकन अभी नहीं किया जा सका है।
7. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23.12.2016 के क्रम में वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण हेतु रू0 2500.00 लाख धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

8. केन्द्रीय किचन निर्माण एवं स्थापना हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 05.02.2019 के माध्यम से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित 05 जनपदों यथा–वाराणसी, कानपुर नगर, आगरा, गाजियाबाद एवं अम्बेडकरनगर को प्रथम किश्त के रूप में रू0 1250.00 लाख प्रत्येक जनपद को रू0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रेषित की जा चुकी है। सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा उक्त धनराशि अक्षयपात्र फाउण्डेशन के खाते में प्रेषित की जा चुकी है।

9. 05 जनपदों यथा–वाराणसी, कानपुर नगर, आगरा, गाजियाबाद एवं अम्बेडकरनगर को निर्गत धनराशि के सापेक्ष अक्षयपात्र संस्था द्वारा ई मेल दिनांक 18.06.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि **जनपद–वाराणसी** में केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना हेतु निर्माण कार्य सम्पादित किया जा रहा है। अक्टूबर, 2019 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा। शेष अन्य 04 जनपदों को निर्गत रू0 2.50 करोड़ प्रति जनपद के सापेक्ष जनपदों में ले आउट एवं अन्य विभागों से एन0ओ0सी0 पास कराने की कार्यवाही की जा रही है।

10. जनपद–गोरखपुर में भूमि का चिन्हाकन कर लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।